Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

ATTENTION : SC/ST/OBC/MINORITY STUDENTS OF CLASS I TO XII OF ALL GOVERNMENT/ AIDED/RECOGNIZED PUBLIC SCHOOL AFFILIATED TO DIRECTORATE OF EDUCATION/ KENDRIYA VIDYALAYA/ NATIONAL OPEN SCHOOL/SCHOOL AFFILIATED TO NDMC/ DELHI CANTONMENT BOARD, EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION, NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION AND SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Free Supply of Stationary to SC/ST/OBC/Minorities Studying in Class I to XII (2015-16)

Closing Date :20.09.2015

ELIGIBILITY CRITERIA

1. Free Supply of Stationary to SC/ST/OBC/MIN. students studying in class I to VIII & Class IX to XII of Delhi Govt. School/ recognized schools of Delhi.
2. The student should not have less than 70% attendance in previous academic year.
3. Family income should not exceed 2,00,000/- p.a. and the proof in the form of self declaration (self certified income certificate) as per format given with the application form will be required.
4. The applicant belongs to the Minority communities should be resident of Delhi for the past three years and should submit proof thereof like EPIC card, Adhar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.
5. The applicant should submit self attested copy of Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's Name by SDM/Deputy Commissioner (Revenue), Govt. of NCT of Delhi, Domicile Certificate of Delhi if the caste (SC) certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi is required.
6. In case of minority student, declaration by parent/guardian in the form of an affidavit (in Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- with 5/- Rs. revenue stamp) that his Son/Daughter belongs to particular Minority Community.

RATES OF FINANCIAL ASSISTANCE

Class Ist to Class VIII- Rs. 1000/-Per Annum **Class IX to Class XII-2000/- Per Annum**

HOW TO APPLY

(a) The application forms can be downloaded from the website of the Department i.e. www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

(b) Eligible students studying in school affiliated to NDMC may submit their form of Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed Performa as well as soft copy to Dy. Education Officer (General), Deptt. of Education, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi who is the Nodal Officer in the matter.

(c) Eligible students in Government/Govt. Aided School affiliated to Dte. of Education may submit their forms to Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy to District concerned. The Dy. Director of the District may in turn submit the consolidated proposal in the prescribed preformed as well as well as soft copy to Dy. Director (Planning), Old Patrachar Building, Timparpur, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(d) Eligible Students studying in school affiliated to Delhi Cantonment Board may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed Performa as well as soft copy in the Office of Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110010 who is the nodal officer in the matter.

(e) Eligible students studying in School, affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their application form to Head to School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed Performa as well as soft copy in the office of Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(f) Eligible students studying in Recognized Public School/National Open School and other schools approved by Government but not falling under any of the category above may submit their forms to Head to School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed Performa as well as soft copy along with the complete application forms along with the relevant document to Dy. Director (SC/ST/OBC/Min.), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minority, B-Block, 2nd Floor Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by 20.09.2015

Note : The Head of School mentioned above at (b) to (f) will keep application of the students and other supporting documents such as self attested copy of caste certificate, previous class mark sheet, self declaration, affidavit etc., for their record which may be checked by this Department any time.

(g) Bank Account should be in the name of the student (Joint Bank Account With parent/Guardian is also permissible) and Performa of bank detail should be verified by the concerned bank/ Branch authority.

(h) The scholarship will be awarded as per order/Notification/Circular issued by GNCT of Delhi from time to time.

OTHER CONDITIONS

Individual applications shall not be entertained. Head of School must ensure that no eligible SC/ST/OBC/MIN student is left out and consolidated list of students in the prescribed performa should be sent to concerned office indicated above. The Nodal officer of the concerned department/organization should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed Performa which may be downloaded from the website of the department) to Dy. Director (SC/ST/OBC/MIN), B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 on or before the closing date. Application/proposals received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter the name of scheme should be clearly indicated.

Format of application Form, Consolidated statement (to be filled by Head of School concerned). Self Declaration of family income and Electronic Clearing Service Performa in respect of school/student may be downloaded from the Department website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

(PRINCIPAL SECRETARY)
Department for the welfare of sc/st/obc/minorities

DIP/0743/2015-16

Applicant and form attesting authority/school authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक कल्याण विभाग

दूसरा तल, बी—ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110 002,

फोन: 23379511-12, फैक्स: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

ध्यान दें : सभी सरकारी / सहायता प्राप्त / शिक्षा निदेशालय के साथ संबद्ध मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों / केन्द्रीय विद्यालय / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / एनडीएमसी / दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र

कक्षा 1 से कक्षा 12 तक (2015—2016) अध्ययनरत अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक के छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी की आपूर्ति

समापन तिथि : 20.09.2015

पात्रता मानदण्ड

1. दिल्ली के सरकारी स्कूलों / दिल्ली के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक के छात्रों को स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति।
2. पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों की उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
3. परिवार की आय 2,00,000 रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदन के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं घोषणा के रूप में इसका प्रमाण देने की आवश्यकता होगी (स्वयं प्रमाणित आय प्रमाणपत्र)।
4. अल्पसंख्यक समुदायों में आवेदक को पिछले तीन वर्षों में दिल्ली का निवासी होना चाहिए और इसे एपिक कार्ड, आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली के एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक के रूप में इसका प्रमाण जमा करना चाहिए।
5. आवेदक को छात्र या उसके पिता के नाम पर एसडीएम / उपायुक्त (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग) की सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। दिल्ली का अधिवास प्रमाणपत्र, यदि जाति का प्रमाणपत्र (अनु. जाति) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।
6. अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में उसके माता पिता / अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र पर (₹ 10 मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में ₹ 5 के रेवेन्यू स्टेम्प के साथ) के रूप में यह घोषणा कि उनका बेटा / बेटी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का है।

वित्तीय सहायता की दरें

कक्षा 1 से 8 तक 1000 रु. प्रति वर्ष   **कक्षा 9 से 12 तक 2000 रु. प्रति वर्ष**

आवेदन कैसे करें

(क) आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(ग) सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा निदेशालय से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव संबंधित जिले में जमा करें। जिले के उप निदेशक (योजना) ओल्ड पत्राचार बिल्डिंग, तिमारपुर, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(घ) दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली — 110010 के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनयू परिसर, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(च) मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल / नेशनल ओपन स्कूल और सरकार द्वारा अनुमोदित किन्तु उपरोक्त किसी श्रेणी में न आने वाले अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संयुक्त निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी—ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली—110002 के पास संगत दस्तावेजों सहित सभी पूर्ण आवेदनों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र में समेकित प्रस्ताव और इसकी सॉफ्ट प्रति अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा करें।

टिप्पणी : उपरोक्त (ख) से (च) तक उल्लिखित स्कूलों के प्रमुख छात्रों के आवेदन और अन्य समर्थक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, पिछली कक्षा की अंक सूची, स्वयं घोषणा, शपथ पत्र आदि अपने रिकॉर्ड के लिए रखें, जिन्हें इस विभाग द्वारा किसी समय जांचा जा सकता है।

(छ) छात्र के नाम पर बैंक खाता (माता पिता / अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की अनुमति भी है) और बैंक विवरणों के प्रपत्र का सत्यापन संबंधित बैंक / शाखा प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

(ज) छात्रवृत्ति समय समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश / अधिसूचना / परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी।

अन्य शर्तें

वैयक्तिक आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय के प्रमुख को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई पात्र अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्र छूट नहीं जाना चाहिए और छात्रों की समेकित सूची निर्दिष्ट प्रपत्र में उपरोक्त बताए गए संबंधित कार्यालय में भेजी जानी चाहिए। संबंधित विभाग / संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रति दिए गए फॉर्मेट के अनुसार अलग से भेजी जाए जिसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) उप निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), दूसरा तल, बी—ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 के पास समापन तिथि को या इससे पहले अग्रेषित करना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन / प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अग्रेषण पत्र पर योजना का नाम स्पश्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप, समेकित विवरण (संबंधित विद्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए) पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा तथा विद्यालय / छात्र के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रारूप विभाग की वेबसाइट **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

प्रधान सचिव
(अजा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यक)

DIP/0743/2015-16

***आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी / विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज / जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित किया जाएगा।**